

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022 / 11376

दिनांक : 01/11/2022

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए अध्यक्षीय पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.स.	जिले का नाम	नगरीय निकाय का नाम	अध्यक्षीय पद का नाम	पद रिक्ति का कारण
1.	अजमेर	न.पा. नसीराबाद	अध्यक्ष	अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से
2.	जयपुर	न.नि. जयपुर ग्रेटर	महापौर	अयोग्य घोषित होने से
3.	सिरोही	न.पा. पिण्डवाड़ा	अध्यक्ष	अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से

- उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	03.11.2022 (गुरुवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	04.11.2022 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	05.11.2022 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	07.11.2022 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	07.11.2022 (सोमवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	10.11.2022 (गुरुवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	10.11.2022 (गुरुवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

- आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11377-82
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 01.11.2022

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, जयपुर एवं सिरोही।

143 1/11/22
(पिंकी शर्मा)
सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान